

# कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/प्रारं/आरटीई/सी/पुनर्भरण/बजट आवंटन/18890/13-14/92 दिनांक :- 26/6/2014

जिला शिक्षा अधिकारी  
प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा

विषय:- शिक्षा के अधिकार अधिनियम अन्तर्गत निजी विद्यालयों को सत्र 2013-14 की द्वितीय किस्त के पुनर्भरण हेतु।

प्रसंग:- वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा का पत्र क्रमांक शिविरा/प्रारं/ बजट/ बी-3/ 9719/2014-15/18-22 दिनांक 23.6.14

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक पत्र के द्वारा आपको शिक्षा के अधिकार अधिनियम अन्तर्गत निजी विद्यालयों को सत्र 2013-14 में निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों के पुनर्भरण के संबंध में सत्र 2013-14 की द्वितीय किस्त का बजट आवंटन किया जा चुका है, जिसकी प्रति सुलभ संदर्भ हेतु आरटीई वेबपोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आवंटित बजट का उपयोग यथाशीघ्र करें एवं दिनांक 10.7.14 तक उक्त बजट का उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र आरटीई वेबपोर्टल पर आवश्यक रूप से अपलोड करें। साथ ही सत्र 2013-14 की द्वितीय किस्त की राशि का भुगतान करते समय निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित करें:-

1. पुनर्भरण से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि यदि निःशुल्क प्रवेशित बालक के सत्रारम्भ से 31 अगस्त के मध्य विद्यालय छोड़ने/टी.सी. लेकर या बिना टी.सी. लिए अन्य विद्यालय में प्रवेश लेने/छात्र की मृत्यु हो जाने आदि कारणों से यदि बालक विद्यालय में अध्ययनरत नहीं है तो उस बालक के संबंध में सत्र 2013-14 की द्वितीय किस्त का संबंधित विद्यालय को पुनर्भरण नहीं किया जाएगा।
2. गत वर्षों में विद्यालय को किन्हीं कारणों से हुए अधिक भुगतान तथा विद्यालय को निःशुल्क/रियायती दरों पर आवंटित भूमि/भवन/उपस्कर आदि के आदेश में अंकित बालकों की संख्या के आधार पर बनने वाली प्रतिपूर्ति की राशि जिसका पुनर्भरण प्राप्त करने का विद्यालय हकदार नहीं है, के समायोजन की राशि का आकलन कर उक्त राशि का समायोजन करें।
3. पूर्व में यदि विद्यालयों को लिपिकीय त्रुटि से या किसी अन्य कारण से कम भुगतान किया गया है तो उसका समायोजन पोर्टल पर उपलब्ध द्वितीय किस्त के भुगतान संबंधी मॉड्यूल में की गई व्यवस्था का उपयोग करते हुए किया जा सकता है, परन्तु तत्संबंधी सत्यापित रिकॉर्ड का संधारण कर ही ऐसा भुगतान करें साथ ही समायोजन के कॉलम में उक्त कारण को अंकित भी करें।


जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अधीनस्थ समस्त बीईईओ कार्यालयों से उक्तानुसार पालना सुनिश्चित करावें।

Sd

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

## प्रतिलिपि:-

1. वरिष्ठ शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया आपके अधीनस्थ जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) कार्यालयों को उक्तानुसार निर्देशित करने का श्रम करावें।
3. उपनिदेशक, प्रारंभिक / माध्यमिक शिक्षा.....को भेजकर लेख है कि वे अपने मण्डल में अधीनस्थ कार्यालयों से उक्तानुसार पालना सुनिश्चित करावें।

  
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर